

भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवसर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

Recommended for Approval
[Signature]
मुख्य वन अधिकारी
राज्य सरकार
द्वारा (संलग्न) आदेश
दिनांक 20.05.2016

दिनांक-.....
स्थान-.....

हस्ताक्षर
नाम-
सरकारी मोहर